FIROZABAD POLICE

" सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा "

## सराहनीय कार्य थाना नारखी दिनांक 04-06-23 जनपद फिरोजाबाद।

## थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा गला रेत कर हत्या कर अज्ञात शव को चरी के खेत में फैंकने वाले वांछित 02 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, आलाकत्ल एक अदद धारदार छूरा व घटना में प्रयुक्त वाहन वैगन-आर गाडी के पार्ट्स बरामद।

दिनाँक 18.05.2023 को वादी श्री राजू पुत्र श्री चेतराम (चौकीदार) निवासी ग्राम कायथा थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि विशाल पुत्र श्री जुगेन्द्र ठाकुर निवासी कायथा थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद के खेत में एक अज्ञात शव सिर कटा चरी के खेत में पडा है जिसकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर काटकर हत्या कर दी गयी है। वादी की तहरीर के आधार थाना हाजा पर मु0अ0स0 204/2023 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद द्वारा अज्ञात शव का अनावरण करने व हत्या में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन पाताल के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद फिरोजाबाद के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी टूण्डला के निकट पर्यवेक्षण में अलग अलग टीमें गठित की गयी।

उक्त आदेश के क्रम में थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा अज्ञात शव का अनावरण करते हुये हत्या में संलिप्त अभियुक्तगण 1. जसरथ अली पुत्र मकसूद अली नि0 ग्राम सोना थाना जलेसर एटा 2. प्रेमप्रकाश उर्फ मधुआ नि0 मोहनपुर थाना जलेसर एटा को दिनाँक 03.06.23 को क्रमशः अलग अलग ओखरा बम्बा पुलिया नारखी ओखरा रोड व गढी कल्याण तिराहा थाना क्षेत्र नारखी फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया गया व अभियुक्तगण के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद धारदार छुरी सती चौराहा से कुबेरगढी की तरफ जाने वाले रास्ते पर करीब 02 किमी आगे बम्बा पुल से 50 कदम पहले बम्बा की दांहिनी पटरी पर खडी झाडियों से व वैगन-आर गाडी की आरसी मूल प्रति , पार्ट्स, चैसिस प्लेट नम्बर x MA3EED81S00423356 x F6 व नम्बर प्लेट सिल्वर रंग की तीन भागो में टूटी नं0 UP 78 BD 1528 खुशनुमा स्क्रैप डीलर की दुकान जीटी रोड एटा से बरामद हुए। उक्त के सम्वन्ध में थाना नारखी पर मु0अ0सं0 204/23 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

## घटना का संक्षिप्त विवरणः-

मृतक गंगा सिंह पुत्र राधाकिशन नि0 नगला दखल थाना उत्तर फिरोजाबाद की गांव नगला नैनसुख में 27-28 बीघा जमीन है। मृतक गंगा सिंह उपरोक्त के कोई औलाद नही है। जमीन के लालच में अभियुक्त कालीचरन पुत्र राम सिंह नि0 नगला नैनसुख थाना जलेसर एटा द्वारा अपने सगे बहिनोई की हत्या

दो लाख रूपये की सुपारी का ललाच देकर षडयन्त्र के तहत जसरथ अली पुत्र मकसूद अली नि0 ग्राम सोना थाना जलेसर एटा व प्रेमप्रकाश उर्फ मधुआ नि0 मोहनपुर थाना जलेसर एटा से करा दी।

अभियुक्त प्रेमप्रकाश उर्फ मधुआ तथा जसरथ अली ने पहले भी एक बार प्लानिंग के तहत कालीचरन के बहिनोई गंगा सिंह को एक बैगनआर गाडी में बिठाकर के उसकी हत्या करने के लिए ले गये थे लेकिन मौका ना लग पाने के कारण गंगा सिंह की हत्या नही कर पाये थे तो उसी बेगनआर गाडी से उनके घर नगला दखल फिरोजाबाद पर रात्रि को छोड गये थे। फिर दोबारा प्रेमप्रकाश व जसरथ अली तथा कालीचरन उपरोक्त ने दुबारा से प्लानिंग बनायी, इसके बाद फिर प्लानिंग के तहत दिनांक 17.05.2023 को कालीचरन ने अपने बहिनोई गंगा सिंह को शाम के समय करीब 06 बजे जलेसर बुलाया था तथा प्रेमप्रकाश को जसरथ अली ने फोन करके शाम को प्लानिंग के अनुसार पौने 7 बजे के लगभग जलेसर में बुलाया था। जलेसर में पहले सी ही जसरथ अली और कालीचरन के बहनोई गंगा सिंह एक वैगन आर गाडी जिसका नम्बर UP 78 BD 1528 में बैठे थे तथा जसरथ अली चला रहा था उसी गाडी में दोनो के साथ प्रेमप्रकाश उर्फ मधुआ भी बैठ गया। उसके बाद तीनो लोग इसौली चौराहे पर आये जंहा से जसरथ अली ने शराब खरीदी तथा तीनों ने इसौली चौराहे पर शराब पी जब शराब पीते - पीते रात्रि के लगभग 8 बज गये थे काफी अंधेरा हो गया और समय पास करने के लिए फिर तीनों गाडी लेकर कायथा थाना क्षेत्र नारखी की तरफ आ गये, तथा वंहा भी तीनों ने दुबारा से शराब पी तथा गंगा सिंह को ज्यादा शराब पिलायी, ज्यादा शरीब पीने से गंगा सिंह को ज्यादा नशा हो गया तो जसरथ गाडी को इधर से उधर सुनसान जगह की तलाश में घुमाता रहा फिर जब रात के लगभग 10 बज गये थे तो जसरथ अली ने गाडी गढी कल्याण से पहले एक सुनसान जगह बम्बा के किनारे गाडी खडी कर दी थी और गंगा सिंह से कहा कि गाडी खराब हो गई है तथा नीचे उतरकर गाडी का बॉनट खोल दिया। फिर गंगा सिंह को प्रेमप्रकाश व जसरथ बम्बा की पटरी पर ले गये थे तथा वंहा एक चरी के खेत के किनारे बैठकर तीनो लोग बात-चीत करने लगे, बातचीत के दौरान मौका पाकर प्रेमप्रकाश उर्फ मधुआ ने गंगा सिंह का उनके गले में पडे गमछे से गला दबा दिया तो गंगा सिंह बेहोश हो गये। इतने में जसरथ अली ने छुरा से गंगा सिंह की छाती व पेट को छेत डाला और फिर जसरथ अली ने कहा कि जिन्दा बच सकता है तो प्रेमप्रकाश उर्फ मधुआ ने गंगा सिंह का गला छूरा से काटकर अलग कर दिया तथा कटे सिर को उसी गमछे में लपेटकर चरी के खेत में फैंक दिया और छूरा को पास में ही बम्बा की पटरी पर खडी छाडियों में छिपा दिया तथा बाद में गाडी का फोटो कहीं कैमरे में आने के डर से वैगनआर गाडी को खुशनुमा स्क्रैप डीलर की दुकान जीटी रोड एटा पर कटवा दिया। आलाकत्ल छूरा व घटना में प्रयुक्त बैगनआर गाडी के पार्ट्स थाना नारखी पुलिस ने बरामद कर लिये है।

## गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास

1. जसरथ अली पुत्र मकसूद अली नि0 ग्राम सोना थाना जलेसर एटा
   मु0अ0सं0 204/23 धारा 302/201/120बी भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नारखी फिरोजाबाद
2. प्रेमप्रकाश उर्फ मधुआ नि0 मोहनपुर थाना जलेसर एटा
   मु0अ0सं0 204/23 धारा 302/201/120बी भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नारखी फिरोजाबाद

## फरार अभियुक्तः-

1. कालीचरन पुत्र राम सिंह नि0 नगला नैनसुख थाना जलेसर एटा गंगा सिंह पुत्र राधाकिशन नि0 नगला दखल थाना उत्तर फिरोजाबाद

## बरामदगीः-

1. आला कत्ल एक अदद छुरी
2. घटना में प्रयुक्त वैगन-आर गाडी की आरसी की मूल प्रति तथा पार्ट्स, चैसिस प्लेट नम्बर x MA3EED81S00423356 x F6 व नम्बर प्लेट सिल्वर रंग की तीन भागो में टूटी नं0 UP 78 BD 1528

## गिरफ्तार करने वाली थाना नारखी पुलिस टीमः-

1. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक
2. व0उ0नि0 श्री राजवीर सिंह
3. कां0 959 राहुल पाल
4. कां0 455 अखिलेश कुमार
5. का0 673 सत्यपाल सिंह
6. का0 1470 आफताब खान

## सर्विलांस टीम

1. उ0नि0 नितिन कुमार त्यागी
2. है.का. अमित चौहान
3. का. करन एवं अन्य